रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276430
CG-DL-E-23092026-276430

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948
No. 573] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

फा. सं. आरसीडी-15001/1/2024-रेग्यूलेटरी-एफएसएसएआई .— खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और संघटन के संबंध में भ्रामक जानकारी दिए जाने से रोकने के लिए, निम्नलिखित विनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, ताकि पनीर के रूप में एनेलॉग उत्पाद के विनिर्माण और बिक्री पर निर्बंधन लगाया जा सके। 'डेयरी संदर्भ में एनेलॉग उत्पाद' श्रेणी के अंतर्गत पहले से अनुज्ञप्त या पंजीकृत उत्पादों के नामकरण, लेबलिंग या विपणन में "पनीर" शब्द का प्रयोग बंद किया जाएगा।

आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने वाले आक्षेपों अथवा सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाए।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में—

(क) विनियम 2.1 में, उप-विनियम 2.1.1 में, खंड (11) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(12) दूध से व्युत्पन्न घटकों से निर्मित न किया गया पनीर।"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./342/2026-27]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या फा. सं. SS-T0FA(NOTI)/3/2024-Standard-FSSAI, दिनांक 23 मई, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

F. No. RCD-15001/1/2024-Regulatory-FSSAI.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) thereof, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

The amendment is proposed in the following regulation to restrict manufacturing and sale of analogue product as paneer so as to prevent misleading of consumer's regarding the nature and composition of the product. Products already licensed or registered under 'Analogue in Dairy Context' category shall discontinue the use of the term "Paneer" in their nomenclature, labelling or marketing.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2026.
2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011,

a. in regulation 2.1, in sub-regulation 2.1.1, after clause (11), the following clause shall be inserted, namely: -

"(12) paneer made of constituents not derived from milk."

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./342/2026-27]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended *vide* notification number F.No. SS-T0FA(NOTI)/3/2024-Standard-FSSAI, dated 23rd May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA